189 188

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अमृत सहाय लकड़ा

04AA 000306/09

46 (1) Pro 'C'

231 'A' with the Permission by LRDC Simdega vide Case No. 353/07-08 Order dated 26-4-08.

27/2/9

27.2.09

श्री अमृत सहाय लकड़ा सा० 3,40000/ तीन लाख चालीस हजार रुपया में 0.20 डि० जमीन की मकान रैली खिड़ी किया

ता० 27/2/2009

११ लेख्यकारी:- श्री अमृत सहाय लकड़ा पिता का नाम स्वर्गीय प्रीतम मसीह लकड़ा, जाति- उराँव, पेशा- खेती बारी, निवास ग्राम- गोतरा ठाकुरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 126/2009

1000 RS.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

§2§ लेख्यधारिणी :- श्रीमती खुशमारेन लकड़ा पति का नाम जीवित श्री प्रमोद लकड़ा, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी निवास ग्राम- गोतरा ठाकुरटोली, पोस्ट ऑफिस-सिमडेगा थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या :- 197/2009

§3§ लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य :- जमीन का मूल्य मोबलिग दो लाख रूपये अंके 2,00,000/- रूपये एवं उसपर निर्मित चार कमरा ईंट गिलावा से जोड़ाई पुराना एलवेस्टर का छत जिसमें 18 फीट × 9 फीट का एक रूम, 12 फीट × 10 फीट का एक रूम, 12 फीट × 10 फीट का एक रूम, 8 फीट × 8 फीट का एक कीचन रूम कुल 466 वर्ग फीट का मूल्य एक लाख चालीस हजार रूपये अंके 1,40,000/- रूपये, कुल मूल्य मोबलिग तीन लाख चालीस हजार रूपये अंके 3,40,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति :- एराजियात आवासीय जमीन वाके मौजा- गोतरा भोगताटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के अन्दर खाता

3

संख्या 260 §दो सौ साठ§ प्लॉट नं0 4955 §उनचास सौ पचपन§ रकबा 0.75 एकड़ §पचहत्तर डिसमिल§ में से रकबा 0.20 एकड़ §बीस डिसमिल§ जानिब बीच भाग आवासीय जमीन तथा उस पर बना ईंट गिलावा से जोड़ाई एलवेस्टर का छत चार कमरा का मकान पुराना ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- प्लॉट नं0 4955 का अंश,

दक्षिण:- श्रीमती सियोमनी कुमारी का मकान,

पूरब :- सुमन डुंगडुंग का टांड़,

पश्चिम:- माईकिल धनवार का टांड़ ।

मालगुजारी 30 पैसा §तीस पैसा§ अलावे सेस सलाना ।

सही साहब सहाय लकड़ा
ता. 27/2/2009

§1§ चूँकि मुझ लेख्यकारी को वास्ते बिमारी का इलाज के लिए वो अन्य खर्च के लिए रूपया का अति आवश्यकता है, और इस समय उक्त जमीन बिक्री करने के सिवाय कोई भिन्न उपाय नहीं है । अतः मैंने लेख्यधारिणी श्रीमती खुमारेन लकड़ा से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की और उन्होंने लेना स्वीकार किया ।

1000 Rs. 4

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर और मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन और मकान उपर्युक्त लेखयधारिणी श्रीमति खुशमारेन लकड़ा के हाथ मोबलिग तीन लाख चालीस हजार रूपये अंके 3,40,000/- रूपये नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बिक्रीत जमीन का अपना कुल हक हकुक उक्त लेखयधारिणी तथा उनके उत्तराधिकारी जो हैं और जो होंगे उन्हें हस्तान्तरित कर दिया । अब से सैय बिक्रीत जमीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा और न किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत जमीन पर मेरा निर्विवाद हक वो दखल कब्जा है तथा इन पर किसी किस्म का भार या झंझट नहीं है ।

सही सम्हत सहाय लकड़ा
ता. 27/2/2009

यह जमीन दफा 46 सीo एनo टीo एक्ट का दरखास्त की तारीख 22. 7. 1967 जिसका मोकदमा नम्बर 102 आर 8(1)(1) सन् 1967-68 है और अनुo पदाधिकारी, सिमडेगा का फैसला तारीख 22. 2. 1968 ईस्वी है। निबंधित दस्तावेज संख्या 633 दिनांक 28. 6. 68 के द्वारा श्री जोहन घुका डुँगडुँग वो श्री जुएल डुँगडुँग पिता स्वo सिरिल डुँगडुँग निवास गाँव- गोतरा, थाना- सिमडेगा से खरीदा हूँ। तथा मैं लेखयधारी अपने नाम दाखिल खारिज कराकर अंचल पदाधिकारी, सिमडेगा से मालगुजारी रसीद कटा रहा हूँ।

सही अमृत सहाय लकड़ा
ह: 27/7/2009

चाहिए कि लेखयधारिणी सैय विक्रीत जमीन एवं मकान पर अपना काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा समझें, अपने उपयोग में लावें चाहे अपना जिस किस्म का सुविधा हो करें तथा जो कुछ आय हो पुत्र पुत्रादिक भोग तसरूफ करें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज करावें वो मोकर्रर मालगुजारी एवं दीगर सरकारी टैक्स देकर अपने नाम खास रसीद लिया करें।

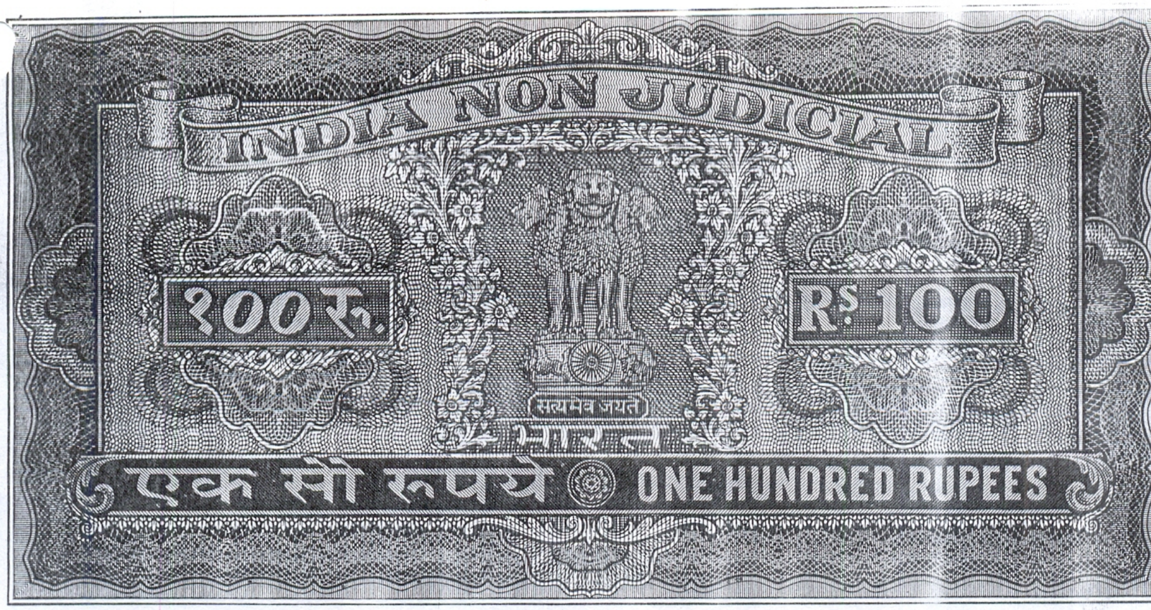

6

{4} चूँकि उभय पक्ष आदिवासी होने के कारण सरकार से परमिशन पाये बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकता । फलतः श्रीमान् उप समाहत्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में एक किता आवेदन अन्दर दफा 46 सी0 एन0 टी0 एक्ट के तहत दिया जो बाद सुनवाई के दिनांक 26.4.08 को जमीन बेचने के लिए परमिशन दिया गया जिसका मुकदमा संख्या सी0 एन0 टी0 353/07-08 है एवं जिसका मेमो नं0 467{i} दिनांक 26.04.2008 है ।

{5} इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक के लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

सही अक्षर सहायक लकड़ा
ता. 27/2/2009

मैं लेखयकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही अमृत सहायलकड़ा
त. 27/2/2009

सही अमृत सहायलकड़ा
त. 27/2/2009

प्रमाणित किया जाता है कि लेखयकारी श्री अमृत सहाय लकड़ा के बाँये हाथ के पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

Kailash Prasad
27/2/09 Adv.

100 Rs.

8

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs. 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

—8—

मैं लेखयधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही खुशमारेन लकड़ा
27/2/09

सही भगत सहाय लकड़ा
ता. 27/2/2009

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी श्रीमती खुशमारेन लकड़ा के बाँये हाथ के पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है,

Kailash Prasad
27/2/09 Adv.

100Rs.

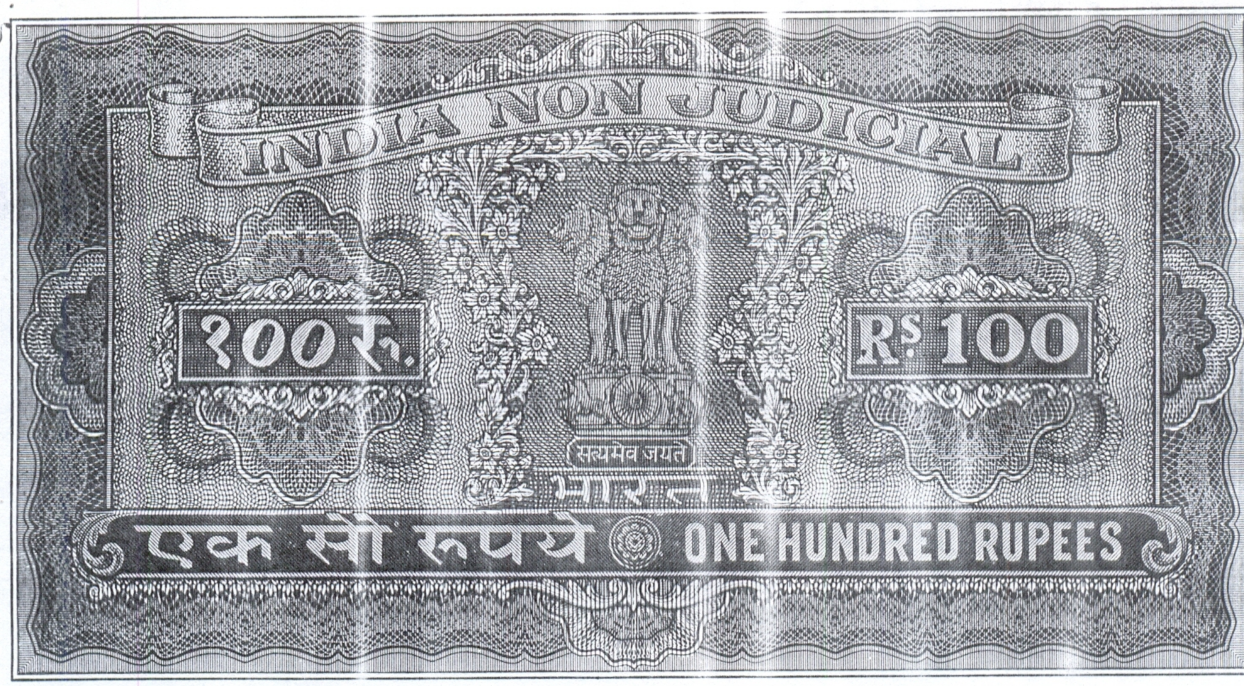

9

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Kailash Prasad
27/2/09 Adv.

(प्रारूपकर्ता)
तारीखः- 27/2/2009

सही अमर सहाय लोढ़ा
ता. 27/2/2009

100 Rs.

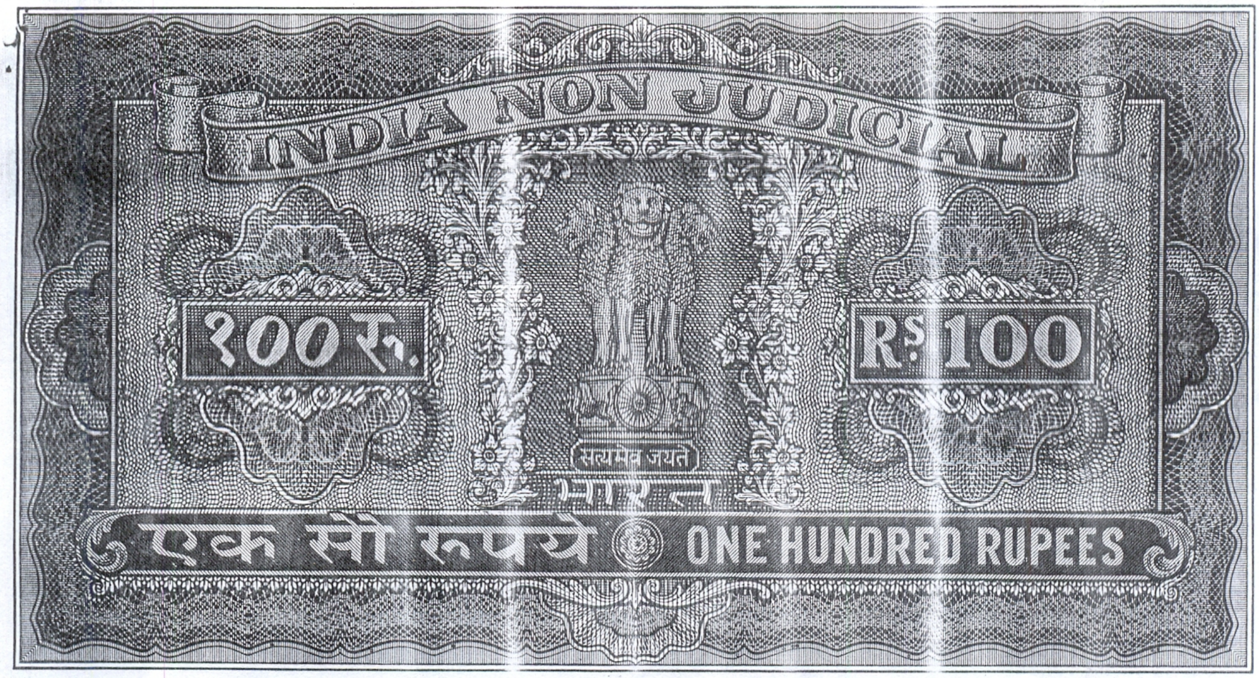

—10—

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल दस पृष्ठों में कुल 648 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है ।

टंकक
मो0 मकसुद
27-2-2009

मो0 मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

सही अमृत सहाय लकड़ा
ता. 27/2/2009